रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 1973/श्रावण 13, 1895

No. 179] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1973/SRAVANA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th August 1973

SUBJECT.—*Export of cotton yarn from India*

No. 24-ETC(PN)/73.—It has been decided that the present ban on export of all types of cotton yarn other than those specified in Public Notice No 22-ETC(PN)/73, dated the 5th July, 1973, shall continue until further orders

2. Other terms and conditions of permitting exports of permissible types of cotton yarn as mentioned in the aforesaid Public Notice shall remain unchanged.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1973

विषय : भारत से कपास के सूत का निर्यात ।

संख्या 24-ई०टी०सी० (पी०एन०)/73.—यह निश्चय किया गया है कि कपास के सूत की जो किस्में सार्वजनिक सूचना संख्या 22-ई०टी०सी० (पी०एन०)/73, दिनांक 5 जुलाई, 1973 में निर्दिष्ट की गई हैं उनसे भिन्न सभी किस्मों के निर्यात पर वर्तमान प्रतिबन्ध अगला आदेश जारी होने तक जारी रहेगा ।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में यथा उल्लिखित कपास के सूत की अनुमेय किस्मों के निर्यातों की अनुमति देने से सम्बन्धी अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973